राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांकः एफ.2 (3) लागत / 1034 / 148　　　　　　　　　　दिनांक– 17/6/11

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत प्रथम,द्वितीय,तृतीय,जयपुर /
वृत प्रथम,द्वितीय, जोधपुर / कोटा /
उदयपुर / बीकानेर / अलवर

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड– ....

विषय–व्यावसायिक / वाणिज्यिक भूखण्डों, आवासों व दुकानों की नीलामी / खुली बिक्री योजना के तहत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के प्रस्तावों में जारी किये गये निर्देशों की पालना नहीं करने बाबत।

सन्दर्भ–परिपत्र क्रमांक एफ.2 (3) लागत / 1034 / 698 दिनांक 28.3.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत व्यावसायिक / वाणिज्यिक भूखण्डों, आवासों व दुकानों की नीलामी / खुली बिक्री योजना के तहत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों में सन्दर्भित परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन देखने में आया है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है।

अतः पुनः निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उक्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों / विज्ञप्ति प्रकाशन के प्रस्तावों में परिपत्र में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। अधूरी सूचनाऐं प्रस्तुत होने पर प्रकरण वापस लौटा दिये जायेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त